न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– प्रकाश राजपुरोहित (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 13 / 2024

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रजि. पता 09 कम्यूनिटि सेन्टर बसन्त लोक, बसन्त विहार न्यू दिल्ली जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह (प्रार्थी वितीय संस्था)

बनाम

1. श्री भवंर पुत्र रामधन दरोगा निवासी ग्राम हटूपुरा ग्राम पंचायत बिंगोलाव पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू (ऋणी)
2. भंवर दूध सप्लाई, साखून, हटूपुरा, जिला जयपुर हाल जिला दूदू (ऋणी)
3. मैसर्स भंवर दूध सप्लाई, प्रोपराईटर श्री भवंर निवासी ग्राम हटूपुरा ग्राम पंचायत बिंगोलाव पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू (ऋणी)
4. श्रीमती सुरज्ञान देवी, निवासी हटूपुरा ग्राम पंचायत बिंगोलाव पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू (सहऋणी / जमानती)
5. श्रीमती नारंगी पत्नी श्री रतना निवासी ग्राम हटूपुरा ग्राम पंचायत बिंगोलाव, पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू (सहऋणी / जमानती)
6. श्रीमती नारंगी पत्नी श्री रतना निवासी हटूपुरा, साखून, जिला जयपुर हाल जिला दूदू (सहऋणी / जमानती)

(अप्रार्थीगण)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002

निर्णय **दिनांक :– 29.8.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को 5,93,000 / – रूपये दिनांक 24.5.2023 को स्वीकृत की गई। उक्त ऋण की सिक्योरिटी पेटे अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा अपनी अचल सम्पति आवासीय भूमि का पट्टा संख्या 10 बुक सं. 154 ग्राम पंचायत बिंगोलाव पंचायत समिति दूदू जिला जयपुर हाल जिला दूदू जिसका क्षैत्रफल 199.05 वर्गगज पर प्रार्थी के यहां मोरगेज किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण अनुबंध पत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार भुगतान नही किये जाने से खाते को दिनांक 05.03..2024 को विधिनुसार एनपीए घोषित किया गया।

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी /वित्तीय संस्था ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अप्रार्थीगण को दिनांक 15.03.2024 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किया गया एवं दो समाचार पत्र इण्डियन एक्सप्रेस व दैनिक नवज्योति में साया प्रकाशन कराये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत पार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय संस्था के विद्वान अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगण को 5,93,000/— रूपये का ऋण दिया है जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज जमा कराने हेतु अप्रर्थीगण को दिनांक 15.3.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया एवं मांग पत्र का दो अखबारो में साया प्रकाशन कराया गया। उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि भुगतान भी नही किया गया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 14 के समर्थन मे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 03 के प्रोपराइटर श्री भंवर पुत्र रामधन दरोगा (बंधक कर्ता) की बधंक सम्पति आवासीय भूमि पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 154 ग्राम पंचायत बिंगोलाव पंचायत समिति दूदू ग्राम हटूपुरा स्थित आवासीय भूखण्ड क्षैत्रफल 199.05 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक दूदू को प्रेषित कर लिखा जावे कि उक्त सम्पति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबंद करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.2024 को सरे इजलास सुनाया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
दूदू जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner